

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,

जीवाजी विश्वविद्यालय

ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2018/5960

दिनांक: 31-12-2018

प्रति,

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त,

शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय,

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म0प्र0)

विषय:- यू.जी.सी. अधिनियम 2(F) एवं 12(B) की जानकारी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपको सूचित किया जाता है कि सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक- F.10-12/2018(CPP-I/Colleges) दिनांक- 13.12.2018 के सम्बन्ध में जिन महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 2(F) एवं 12(B) में रजिस्टर किया जा चुका है। वह समस्त महाविद्यालय 2(F) एवं 12(B) की जानकारी प्रतिदिन अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

डायरेक्टर

महाविद्यालयीन विकास परिषद





विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

प्रो. राजनीश जैन  
सचिव

Prof. Rajnish Jain  
Secretary



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  
University Grants Commission

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार  
Ministry of Human Resource Development, Govt. of India

बहादुर शाही जवाहर मार्ग, नई दिल्ली-110002  
Bahadur Shahi Jawahar Marg, New Delhi-110

Ph : 011-23236288/23237337

Fax : 011-2323 6858

E-mail : secy.ugc@nic.in

### PUBLIC NOTICE

F.10-12/2018(CPP-I/Colleges)

December 13, 2018

The UGC in its 536<sup>th</sup> Commission meeting held on 14<sup>th</sup> November, 2018 has resolved that all such colleges/institutions which intend to apply for inclusion under Section 2(f) and 12(B) of the UGC Act, 1956 shall upload all the details of their college on their official website before applying for the same. The college is required to update their website regularly. UGC may check the details provided by the college on their website anytime. If any college included under Section 2(f) and 12(B) is found uploading wrong information, the Commission may take such action as it may deem fit.

The college which intends to apply for inclusion under Section 2(f) and 12(B) of the UGC Act, 1956 shall also submit their proposal through their affiliating University. The University shall forward the proposal with covering letter in the University's letter head duly signed by the Registrar.

(Rajnish Jain)